मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

भोपाल, दिनांक 17/06/2021

क्रमांक एफ 16-05/2021/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स जे.के. सीमेंट लि. द्वारा ग्राम - माधवगढ़, तहसील - घटिया, जिला उज्जैन में रू. 300.49 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश से 1.5 मिलियन टन सीमेंट ग्राइडिंग परियोजना स्थापना संबंधी प्रस्ताव पर निम्नानुसार सुविधाएं दी जाये:-

1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता -** यंत्र, संयंत्र तथा भवन में किये गये निवेश पर 25 प्रतिशत की स्थिर दर से 7 समान वार्षिक किस्तों में शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये। इकाई को कुल सहायता की सीमा रूपये 75 करोड अधिक नहीं होगी। मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत वाहनों के उपयोग किए जाने की अंडरटेकिंग (घोषणा पत्र) प्रस्तुत किए जाने पर क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने के दृष्टिगत विचारोपरान्त अतिरिक्त रूप से निवेश पर रोजगार गणक की पात्रता शर्तों के अध्याधीन प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई। अन्य प्रावधान शर्तों के अध्याधीन होगी।
2. **अधोसंरचना विकास सहायता -** उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2020) के प्रावधान अनुसार शर्तों के अध्याधीन देय होगी।
3. **हरित औद्योगिकीकरण हेतु सहायता -** उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2020) के प्रावधान अनुसार शर्तों के अध्याधीन देय होगी।
4. **विद्युत टैरिफ में रियायत -** इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 07 वर्ष हेतु प्रचलित विद्युत दर पर रूपये 1/- प्रति यूनिट की छूट दी जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट, यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपी आईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जाये।
5. **विद्युत शुल्क से छूट -** इकाई द्वारा लिये गये नवीन विद्युत कनेक्शन पर वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 10 वर्ष हेतु विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की जाये।
6. परियोजना को उद्योग सवंर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित 2020) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।
7. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से, प्रतिबद्ध निवेश के साथ, 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।
8. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार शुक्ल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

निरंतर.......

पृ.क्रमांक एफ 16-05/2021/ए-ग्यारह भोपाल, दिनांक 17/06/2021

प्रतिलिपिः-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन।
4. कलेक्टर, जिला - उज्जैन।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मैनेजिंग डायरेक्टर, मेसर्स जे.के. सीमेंट लि., कमला टॉवर, कानपुर - 208001।

क कार्यवाही हेतु प्रेषित।की ओर आवश्य -

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग